UPBJ010076942025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–लोकेश नागर, (एच0जे0एस0)–U.P.1764

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–442/2025

दिनेश एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

दिनांकः–02–09–2026:–

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र ख–5 अंतर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है। उपरोक्त पर विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। विपक्षी संख्या–2 तामीला के उपरांत उपस्थित हुए परंतु उनकी तरफ से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र 5–ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम आवेदकगण दिनेश एवं पॉच अन्य द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेस्ट, कोर्ट संख्या–1, बिजनौर के आदेश दिनांकित 16–04–2025 के विरूद्ध निगरानी दाखिल करने में किये गये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित है कि निगरानीकर्तागण ने निगरानी हाजा न्यायालय में दायर की है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। निगरानीकर्तागण को वाद हाजा में पारित तलबी आदेश का कोई ज्ञान समय के अन्दर नहीं हो सका। न्यायालय का समन प्राप्त होने पर निगरानीकर्तागण जजी बिजनौर आये और अपना अधिवक्ता नियुक्त कर नकल सवाल दिनांक 15.07.2025 को डलवाया जिसकी नकल दिनांक 21.07.2025 को प्राप्त हुई आज निगरानीकर्तागण ने निगरानी न्यायालय में बिना कोई देरी किये दायर करायी है। निगरानीकर्तागण ने जानबूझकर कोई गलती लापरवाही देरी न्यायालय में निगरानी समय सीमा के अन्दर दायर कराने में नहीं की है। यदि न्यायालय की राय में निगरानी दायर करने में कोई देरी हुई है तो देरी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर देरी माफ की जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अन्यथा निगरानीकर्तागण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना है कि निगरानी दायर करने मे हुई देरी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर देरी माफ की जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार फरमाय

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

आवेदकगण दिनेश एवं पॉच अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र ख–5, दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–1519/2023, वीर सिंह बनाम दिनेश आदि, धारा–452,325,326

भा.दं.सं., थाना नगीना, जिला बिजनौर में पारित आदेश दिनांकित 16.04.2025 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण का कथन है कि उनको वाद हाजा में पारित तलबी आदेश का कोई ज्ञान समय के अन्दर नहीं हो सका। न्यायालय का समन प्राप्त होने पर वे जजी बिजनौर आये और अपना अधिवक्ता नियुक्त कर नकल सवाल दिनांक 15.07.2025 को डलवाया जिसकी नकल दिनांक 21.07.2025 को प्राप्त हुई तब निगरानी न्यायालय में बिना कोई देरी किये दायर करायी है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा फौजदारी निगरानी प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है और जो भी देरी हुई है वह परिस्थितिवश हुई है। आवेदकगण द्वारा उपरोक्त के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदकगण द्वारा विलंब का युक्तियुक्त कारण दर्शित किया गया है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

–:आदेश:–

आवेदकगण **दिनेश एवं पॉच अन्य** द्वारा प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र ख–5** अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम मुबलिक **पॉच सौ रूपये** हर्जे पर **स्वीकार** किया जाता है। आवेदकगण द्वारा निगरानी दायर करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई किये जाने हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के समक्ष प्रेषित की जाये।

पक्षकार दिनांक 16.09.2026 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हों। तदनुसार फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–442/2025 **निस्तारित** किया जाता है।

दिनांकः–02.09.2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट, बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.09.02 16:20:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court